order Sheet [Contd]

प्र०क० १०५/१६सत्रवाद

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
7-3-17	आरोपीगण उदयसिंह, भारतिसंह, वीरसिंह सहित श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता । श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय मठप्र० खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा किमिनल रिवीजन कमांक 1155/2016 आदेश दिनांक 15—2—17 की सत्य प्रतिलिपि मय शपथपत्र के पेश की । इसके अतिरिक्त एक आवेदनपत्र इस आशय का पेश किया कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त रिवीजन आदेश के अनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को वापिस किया जाये । उपरोक्त आवेदनपत्र की प्रति अभियोजन को प्रदान की गयी आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आवेदनपत्र के संबंध में विचार किया गया । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा पारित किमिनल रिवीजन कमांक 1155/2016 में पारित आदेश दिनांक 15—2—17 को देखा गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । आरोपीगण उदयसिंह, भारतिसंह एवं वीरसिंह के विरूद्ध इस न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा पिरीजिन कमांक 1155/2016 में उपरोक्त आरोप विरचित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा रिवीजन कमांक 1155/2016 में उपरोक्त आरोपीगण की ओर से आरोप के संबंध में किये गये रिवीजन आदेश में आरोपीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 307 विकल्प में 307/149 के स्थान पर धारा 324,324/149 ,323 विकल्प में 323/149 भा0द0सं० के अन्तर्गत आरोप प्रथम दृष्टया बनना अभिनिधारित करते हुये रिवीजन स्वीकार की गयी है । इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध वर्तमान में धारा 307 विकल्प में 307/149 का आरोप माननीय न्यायालय के द्वारा समाप्त कर दिया गया है एवं उसके स्थान पर पूर्व में लगाये गये आरोप धारा कर दिया गया है एवं उसके स्थान पर पूर्व में लगाये गये आरोप धारा कर दिया गया है एवं उसके स्थान पर पूर्व में लगाये गये आरोप धारा कर दिया	

147,148,452 भा0द0वि0 एवं परिवर्तित आरोप 324,324 / 149, 323,323 / 149 भा0द0सं0 शेष रह जाती है जो कि उक्त धाराओं के अन्तर्गत लगाया गया आरोप इस न्यायालय के विचारण क्षेत्राधिकार में न होकर उसकी प्रकृति मजिस्ट्रेट द्वायल की हो जाती है |

ऐसी दशा में जबिक वर्तमान प्रकरण का विचारण सत्र वाद के रूप में न होकर उसका विचारण मिजस्ट्रेट द्वायल के रूप में होना अपेक्षित है । ऐसी दशा में प्रकरण समुचित न्यायालय में विचारण हेतु भेजे जाने वाबत् मुख्य न्यायिक मिजस्ट्रेट भिण्ड को भेजा जाये ।

प्रकरण में इस न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत दिनांक 8–3–17 की तिथि निरस्त की जाती है ।

आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि आगामी नियत तिथि को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड के समक्ष उपस्थित रहें ।

प्रकरण आरोपीगण की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड के समक्ष उपस्थिति हेतु दिनांक 21—3—17 को पेश हो ।

ए०एस०जे०गोहद